तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज
15/12/23	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण को कोई समय से तीन बार तीन-तीन आवाज दिलाई गई। बावजूद आवाज दिलाने के विपक्षीगण अनुपस्थित। बावजूद नोटिस तामील व आवाज दिलाने के अनुपस्थित रहने के विपक्षीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वकील प्रार्थी के पत्रावली पर बहस हुई। आदेश अलग से लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। आदेश की प्रति पालनार्थ सम्बन्धित को मय तामील प्रेषित हो। पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.10.09 16:28:30 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रकरण संख्या : 166/2023

प्रार्थीगण :–

1. हरखाराम पुत्र घमण्डाराम
   जाति विश्नोई निवासी राणासर खुर्द तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. भागीरथराम पुत्र मानाराम जाति विश्नोई
2. भगवानाराम पुत्र मानाराम जाति विश्नोई
3. कोहलाराम पुत्र सुरताराम जाति भील
4. हीराराम पुत्र सुरताराम जाति भील
5. उदाराम पुत्र सुरताराम जाति भील
6. जोगाराम पुत्र पूनमाराम जाति भील
7. रूपाराम पुत्र पूनमाराम जाति भील
8. पाबूराम पुत्र खेताराम जाति जाट
9. पुखराज पुत्र खेताराम जाति जाट
   निवासी राणासर खुर्द तहसील नौखडा जिला बाड़मेर
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार नोखडा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित

1. **श्री रामजीवन विश्नोई अधिवक्ता प्रार्थीगण**
2. **विप्रार्थीगण –एकतरफा**

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 15.12.2023

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा. भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री रामजीवन विश्नोई की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किण्या। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अंतिम जमाबंदी 2074–2077 (वर्ष 2021) से स्थायी सरहद मौजा राणासर खुर्द पटवार हल्का राणासर खुर्द के खसरा नम्बर ... रकबा 0.9712 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की नेखम नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तकरार व विवाद की पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.10.09 16:28:30 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नोखडा को आदेशित किया जाता है कि दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा राणासर खुर्द पटवार हल्का राणासर खुर्द के खेत खसरा नम्बर 4/4 रकबा 0.9712 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक, गोलिया जैतमाल को 500/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार नोखडा को थानाधिकारी पुलिस थाना गुडामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार नोखडा बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 15/12/23 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.10.09 16:28:30 IST
Reason: SelfAttested